

भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा

अतारंकित प्रश्न सं.1956

गुरुवार, दिनांक 09 दिसम्बर, 2021 को उत्तर दिए जाने हेतु

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग

1956. श्रीमती पूनम महाजन:

सुश्री देबाश्री चौधरी: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि केंद्र सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत उत्पादन इकाइयों जैसे एनटीपीसी और एनएचपीसी में नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों के उपयोग में वृद्धि करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
- (ख) इस संबंध में कुल निवेश, रोजगार के अवसरों और विद्युत उत्पादन के संबंध में निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है;
- (ग) जिन क्षेत्रों में एनटीपीसी/एनएचपीसी ने आवश्यक संसाधनों का उपयोग करके विद्युत उत्पादन में विशेषज्ञता हासिल की है, उनमें विद्युत उत्पादन स्तर को बढ़ाने के मामले में सामने आ रही कठनाइयों का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या इन संसाधनों से विद्युत उत्पादन की क्षमता कम हो गई है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

- (क): सरकार, एनटीपीसी लिमिटेड तथा एनएचपीसी लिमिटेड जैसे केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएफयू) सहित सरकारी उत्पादकों द्वारा सौर फोटोवोल्टेक (पीवी) विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से एक योजना अर्थात् सीपीएसयू योजना चरण- II पहले से कार्यान्वित कर रही है। इस योजना में, एनटीपीसी लिमिटेड और एनएचपीसी लिमिटेड जैसे सीपीएसयू सहित सरकारी उत्पादों को, स्वयं के उपयोग के लिए अथवा अन्य सरकारी संस्थानों के उपयोग के लिए स्वदेशी रूप से विनिर्मित सौर पीवी सैलों एवं मॉड्यूलों का उपयोग करके सौर पीवी विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए व्यवहार्यता अन्तराल निधि (वीजीएफ) सहायता दी जाती है।
- (ख): इस योजना में करीब 48,000 करोड़ रूपए के निवेश के साथ 12,000 मेगावाट ग्रिड-संबद्ध सौर फोटोवोल्टेक (पीवी) विद्युत संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य है, जिससे इसके चालू होने से पूर्व की गतिविधियों/निर्माण चरण में करीब एक वर्ष के लिए लगभग, 60,000 व्यक्तियों और संयंत्र के संचालन तथा रखरखाव की अवधि में करीब 25 वर्षों के लिए लगभग 18,000 व्यक्तियों को सीधा रोजगार मिलेगा और प्रति वर्ष करीब 20-25 बिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन होगा।
- (ग) से (ङ): एनटीपीसी लिमिटेड तथा एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत ब्यौरे अनुलग्नक में दिए गए हैं।

दिनांक 09.12.2021 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1956 के भाग (ग), (घ) और (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क. एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत ब्यौरा:

देश में बिजली की मांग में वृद्धि के साथ, एनटीपीसी कोयला संयंत्रों से अप्रैल से नवंबर 2021 तक उत्पादन बढ़कर 189.3 बीयू हो गया है, जो पिछले साल की इसी अवधि में 161.5 बीयू की तुलना में 17.2% की वृद्धि है। वर्तमान परिदृश्य में, एनटीपीसी स्टेशनों को ग्रिड की बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है।

प्रचालन की दृष्टि से, एनटीपीसी की कोयला इकाइयां स्थापित क्षमता के 55% के न्यूनतम तकनीकी भार पर कार्य करने में सक्षम हैं, जैसा कि सीईआरसी द्वारा केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों के लिए अनिवार्य किया था। इसलिए, दिन के समय जब सौर उत्पादन बढ़ता है, तो एनटीपीसी अधिकांश कई कोयला इकाइयां लोड को टेक्निकल मिनीमम तक कम कर देती हैं और उसके बाद शाम को फिर से लोड बढ़ा देती हैं।

ख. एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत ब्यौरा:

एनएचपीसी के सामने पनबिजली परियोजनाओं के विकास में आने वाली कठिनाइयाँ मुख्य रूप से निम्नानुसार हैं:

i. पर्यावरण और वन मंजूरीयाँ

पर्यावरण मंजूरी और वन मंजूरी, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड (जहां लागू हो) से मंजूरी प्राप्त करने के लिए कई स्तरों/स्थानों/कार्यालयों और साथ ही, विभिन्न समितियों द्वारा प्रस्तावों की जांच किए जाने से पनबिजली परियोजनाओं के लिए तत्संबंधी मंजूरी प्राप्त करने में देरी होती है।

ii. भूमि अधिग्रहण

बुनियादी ढांचागत के कार्यों के साथ-साथ परियोजना के घटकों के लिए सबमरजेंस सहित भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया काफी जटिल और समय लेने वाली है।

iii. भूगर्भीय अनिश्चितताएं

भूगर्भीय अनिश्चितताएं देश के उत्तर और पूर्वोत्तर में नाजुक चट्टान वाले भूतत्व नए हिमालय क्षेत्रों में परियोजनाओं के निष्पादन के दौरान / बाद में आने वाली सभी बाधाओं में सबसे बड़ा और सबसे अप्रत्याशित बाधा है। परियोजना की शुरुआत से पहले किए गए गहन और व्यापक सर्वेक्षण और जांच के बाद भी, भूमिगत घटकों जैसे हेड रेस टनल, अंडरग्राउंड पावरहाउस, प्रेशर शाफ्ट और सर्ज शाफ्ट संबंधी विभिन्न प्रतिकूल साइट स्थिति का सामना करना पड़ता है।

iv. प्राकृतिक आपदाएं

अधिकांश जलविद्युत परियोजनाएं पहाड़ी इलाकों में क्रियान्वित की जा रही हैं। अतः भूस्खलन, पहाड़ी ढलानों का ढहना, सड़क अवरोध, बाढ़ और बादल फटना आदि निर्माण कार्य में गंभीर रुकावटों का कारण है।

v. धन की उपलब्धता

जल विद्युत परियोजनाएं लंबी कार्य अवधि के साथ पूंजी-प्रधान हैं। इसके अलावा, देश में उपलब्ध विशाल पन विद्युत क्षमता के दोहन के लिए धन की उपलब्धता को एक प्रमुख बाधा के रूप में देखा गया है।

vi. स्थानीय आंदोलन

इसके अलावा, पिछले कुछ वर्षों में परियोजनाओं के निर्माण कार्यों जो पूरा होने के करीब हैं, में बाधा डालने की प्रवृत्ति बढ़ी है, जो विभिन्न निहित स्वार्थ समूहों, स्थानीय लोगों द्वारा डाउनस्ट्रीम मुद्दों, रोजगार मांगों आदि को पूरा कराने से संबन्धित हैं।

देश की पन विद्युत क्षमता वैसी ही बनी हुई है और विभिन्न बाधाओं के बीच सर्वोत्तम संभव तरीके से इसका दोहन किया जा रहा है।
